आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 17/2018–19

आबिद नैयर वगै0 –बनाम– जगदीश राय

अपीलार्थी :–(1). आबिद नैयर, (2). मो0 शाहबाज, दोनों पे0–मो0 हुसैन, सा0–धरमपुर, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज।

22/07/22

उत्तरवादी :– जगदीश राय, पे0–गोन्डो राम, सा0–धरमपुर, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी आविद नैयर, पिता–स्व0 मो0 हुसैन वगै0 के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आर0ई0 वाद संख्या 14/2017–18 (जगदीश राय –बनाम– शाहबाज नैयर वगै0) में दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर की गई है। आदेश के साथ कालक्षांति आवेदन दाखिल की गई है। आवेदन पर संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा दाखिल करने का आदेश दी गई एवं विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत किये। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 436/रा0, दिनांक 07.12.2018 से मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा हाजरी दी गई, परन्तु पुकार में अनुपस्थित पाये गये। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपने आवेदन में उल्लेख किये है कि पतना अंचल अन्तर्गत मौजा–धरमपुर नं0–35, जमाबंदी नं0–8, दाग नं0–498 रकवा 01–00–16 धूर भूमि से विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा पारित उच्छेदी आदेश निराधार है, जो चलने योग्य नहीं है।

उन्होंने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किये है कि विज्ञ निम्न न्यायालय ने सही तथ्य को दरकिनार कर उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित कर दिये जो कानून के नजर में सही नहीं है, जो Set-aside करने योग्य है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि उत्तरवादी के द्वारा जो वाद निम्न न्यायालय में दायर किया गया था, वो निराधार एवं सरासर गलत है। उत्तरवादी की माँ दुर्गा घटवारिन –बनाम– मु0 हुसैन के बीच आर0ई0 वाद सं0 08/2001–02 पूर्व में चला था, जिसमें बिना गुण–दोष के वाद को समाप्त कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि मौजा–धरमपुर, जमाबंदी सं0–08 रकवा 01 बीघा 11 धूर जमीन चिंतामन राय वल्द जव्वल राय के नाम से खतियान में दर्ज है। चिंतामन राय के एक पुत्र थे, जिसकी निःशंतान मृत्यु हो गई।

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही

उन्होंने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आर0ई0 वाद सं0 14/2017–18 में दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश को Set-aside (अपास्त) करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी का अपने जवाब में कहना है कि प्रश्नगत भूमि पतना अंचल अन्तर्गत मौजा–धरमपुर जमाबंदी नं0–08, दाग नं0–498 रकवा 01 बीघा 11 धूर जमीन मेरे परदादा चिन्तामन राय के नाम खतियान में दर्ज है, जिसका उत्तरवादी वास्तविक वारिसान है, जिसे अपीलार्थीगण अवैध रूप से दखल कर रखे है।

आगे उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, पतना से स्थल जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात प्रश्नगत भूमि मौजा–धरमपुर जमाबंदी नं0–08, दाग नं0–498 रकवा 01 बीघा 11 धूर भूमि से अपीलार्थी को उच्छेद किया गया है, वो न्यायसंगत है।

आगे उन्होंने अपने तर्क में यह भी कहा कि अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन में मौजा–धरमपुर के जमाबंदी नं0–08 के वंशावली निर्गत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि जगदीश राय ही चिंतामन राय के उत्तराधिकारी है।

उन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा आर0ई0 वाद संख्या 14/2017–18 में दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव निर्धारित तिथि में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा हाजरी दी गई, परन्तु पुकार पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना गया। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि पतना अंचल अन्तर्गत मौजा–धरमपुर नं0–35, जमाबंदी नं0–08, दाग नं0–498 रकवा 01 बीघा 11 धूर के खतियानी रैयत चिन्तामन राय, पे0–जब्बल राय के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत की वंशवली निम्न प्रकार से है:–

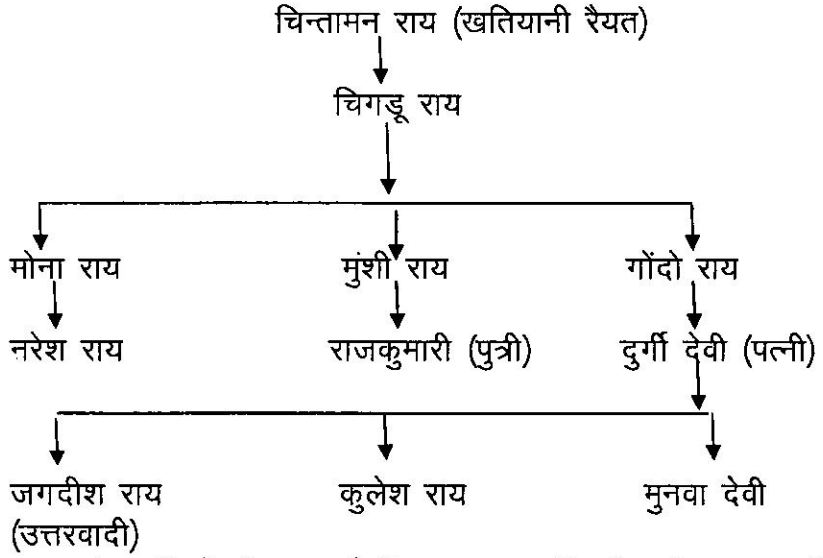

उक्त वंशावली से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की वारिशान जगदीश राय, पे0–गोंदो राय है।

अवएव अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से प्राप्त आर0ई0 वाद सं0 14/2017–18 में दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश का अवलोकन से निम्न तथ्य

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही

सामने आता है:–

1. आदेश में अंकित है कि अंचल अधिकारी, पतना के प्रतिवेदन में मौजा–धरमपुर के जमाबंदी नं0–08 के वंशावली एवं अंचल अधिकारी, पतना के द्वारा खाता संख्या–08 दाग नं0–498 रकवा 01 बीघा 11 धूर जमीन का खतियानी रैयत चिन्तामन राय का निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र संख्या 17/2007, दिनांक 01.08.2017 के अनुसार आवेदक जगदीश राय खतियानी रैयत चिन्तामन राय के वंशज है। विपक्षी सहबाज नैयर उर्फ पिंकू वगैरह ने स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि पर उनका किसी प्रकार का दावा नहीं है और वे भाड़ा में रह रहे है। तृतीय पक्ष सालोनी के दावा के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर वे माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के विविध अपील वाद संख्या 338/2001–02 में किये गये अपील के निर्णय से प्रभावित होंगे। अपीलकर्त्ता गोपी चन्द्र राय ने नया सर्वे पर्चा 10/08 एवं बन्दोवस्ती पदाधिकारी, दुमका के विविध वाद संख्या 378/2002 के आधार पर दावा किया है, जिसका Final Publication नहीं हुआ है। उनका दावा स्वत्व वाद से संबंधित है। उन्होंने आदेश दिये कि अपीलकर्त्ता अपने दावा हेतु सक्षम दिवानी न्यायालय जा सकते है।
2. अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के बन्दोवस्ती वाद संख्या 15/1935–36 (चिगडू राय –बनाम– रूथ हेम्ब्रम) में रूथ हेम्ब्रम को बन्दावस्त किया गया है एवं रूथ हेम्ब्रम वर्णित जमीन will के माध्यम से पोषपुत्री सरला मंडल को दिये है। सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, दुमका के हस्तांतरण वाद संख्या 13/2001 (जगदीश राय –बनाम– सरोली मेरी मंडल) में अवैध दखलकार सरोला मेरी मंडल को उच्छेद किया गया है तथा बसगड़ी कराकर किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने के कारण बसगड़ी को सम्पुष्ट किया गया है।
3. आपत्तिकर्त्ता गोपीचन्द्र राय के द्वारा आपत्ति आवेदन दाखिल कर वर्णित जमीन का असली उत्तराधिकारी एवं दखलकार के रूप में दावा करते है तथा अपने दावे के समर्थन में सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, पेशकारी शाखा, दुमका के विविध वाद संख्या 378/2002 की अभिप्रमाणित प्रति दाखिल किये है। लेकिन उक्त अभिप्रमाणित प्रति से स्पष्ट है कि मौजा–धरमपुर नं0–35 के जमाबंदी नं0–14/08 से संबंधित है। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में आर0ई0 वाद संख्या 14/2017–18 में प्रश्नगत भूमि मौजा–धरमपुर के जमाबंदी नं0–08 से संबंधित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त यह तथ्य सामने आता है कि विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा आर0ई0 वाद संख्या 14/2017–18 में पारित आदेश न्यायोचित है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल अपील आवेदन को खारिज करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश को बरकरार (Upheld) रखा जाता है। आदेश की प्रति के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को मूल अभिलेख एवं अंचल अधिकारी, पतना को आदेश की प्रति भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्य वाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22/7/22

उपायुक्त
साहेबगंज।

22/7/22

उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2023.01.10 12:43:48 +05:30
Location: 192.168.29.219